प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

श्रीमती नीतिका चौहान
पत्नी श्री त्रिलोक सिंह चौहान,
निवासी– ग्राम सतपुलीसैण, पो0 सतपुली,
जिला पौडी गढ़वाल।

संख्या: /उ0ख0/मा0प्लान/पौड़ी गढ़वाल/2018–19, दिनांक 11 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2019

विषय– श्रीमती नीतिका चौहान पत्नी श्री त्रिलोक सिंह चौहान, निवासी– ग्राम सतपुलीसैण, पो0 सतपुली, जिला पौडी गढ़वाल के पक्ष में जनपद व तहसील पौडी गढ़वाल के ग्राम धुरोली के क्षेत्रान्तर्गत के खाता संख्या 4 खसरा संख्या 237, 238 कुल रकबा 2.272 है0 भूमि में आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र की खनन योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा जनपद व तहसील पौडी गढ़वाल के ग्राम धुरोली के क्षेत्रान्तर्गत के खाता संख्या 4 खसरा संख्या 237, 238 कुल रकबा 2.272 है0 भूमि जोकि ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आपके पक्ष में घोषित एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2714/VII-1/2018/35ख/18, दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु बालू, बजरी, बोल्डर उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर आपके पक्ष में स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र से सम्बन्धित प्रस्तुत खनन योजना जो कि आर0क्यू0पी0 श्री भुवन जोशी आर0क्यू0पी0 संख्या–मु0ख0/आर0क्यू0पी0/डी0डी0एन0/01/2016 के द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–34 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली 2017 के नियम–28 क (7) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है–

शर्तें–

1. प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन नियमावली के नियम–28 "क" (18) के अनुसार आशयपत्रधारक के पक्ष में शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किये जाने पर तत्समय शासनादेश में वर्णित अवधि या 05 वर्ष जो भी पहले हो, तक के लिये वैध होगा।
2. आशयपत्र धारक द्वारा सक्षम स्तर से प्रश्नगत खनन क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा तदनुसार प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य मैनुअल माइनिंग विधि से बिना ब्लास्टिंग के अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के अनुसार प्रथम वर्ष में प्रथम वर्ष में आर0एल0 509.210 मी0 से 504.546 मी0 तक 52485 टन, द्वितीय वर्ष में आर0एल0 509.210 मी0 से 504.546 मी0 तक 52485 टन, तृतीय वर्ष में आर0एल0 509.210 मी0 से 504.546 मी0 तक 52485 टन, चतुर्थ वर्ष में आर0एल0 509.210 मी0 से 504.546 मी0 तक 52485 टन एवं पंचम वर्ष में आर0एल0 509.210 मी0 से 504.546 मी0 तक 52485 टन उपखनिज का खनन किया जायेगा।
4. पट्टाधारक द्वारा औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2714/VII-1/2018/35ख/18, दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु बालू, बजरी, बोल्डर उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की समस्त शर्तों का अनुपालन करेगा।
5. पट्टाधारक के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश एवं पट्टाविलेख की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
6. पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली 2017 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।